# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

हरि सिंह दत्तक पुत्र महेश्वरीदीन भरभूंजा
निवासी ग्राम पठा तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. कालीचरण पुत्र देवीदीन राजपूत
2. भारत 3. प्रकाश पुत्रगण बहादुर राजपूत
4. लवकेश नाबालिग पत्नी सरपरस्ती पिता सूरज भरभूंजा

निवासीगण ग्राम पठा तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

**न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 211/बी–121/16–17 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आराजी नं. 861/14 रकवा 0.014 है0 भूमि का पट्टा दखलरहित अधि. 1984 के तहत प्र.कं. 520/बी–121/1980–81 में पारित आदेश दिनांक

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3470 **जिला** – छतरपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17.10.2017 | आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार ने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में जवाब हेतु समय दिया गया है एवं प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है। उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक जो तर्क इस न्यायालय के समक्ष उठा रहे हैं, उन्हें वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |